

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
उप सचिव,  
30 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

नगर पंचायत-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात/नगर पंचायत-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात/नगर पंचायत-मीरगंज, जनपद-बरेली/नगर पंचायत-रिक्षा, जनपद-बरेली/नगर पंचायत-एलम, जनपद-शामली/नगर पंचायत-भरगौन, जनपद-कासगंज/नगर पंचायत-दिलदार नगर, जनपद-गाजीपुर/ नगर पंचायत-बहादुरगंज, जनपद-गाजीपुर/नगर पंचायत-घिरोर, जनपद-मैनपुरी/नगर पंचायत-कुरावली, जनपद-मैनपुरी/ नगर पंचायत-झालू, जनपद-बिजनौर/नगर पंचायत-बढापुर, जनपद-बिजनौर/नगर पंचायत-बी.बी. नगर, जनपद-बुलन्दशहर/नगर पंचायत-खानपुर, जनपद-बुलन्दशहर/नगर पंचायत-करनावल, जनपद-मेरठ/ नगर पंचायत-अमिला, जनपद-मऊ/नगर पंचायत-अमीनगर सराय, जनपद-बागपत/नगर पंचायत-सतरिख, जनपद-बाराबंकी/ नगर पंचायत-दरियाबाद, जनपद-बाराबंकी/ नगर पंचायत-खरेला, जनपद-महौबा/ नगर पंचायत-औरास, जनपद-उन्नाव/नगर पंचायत-मोहान, जनपद-उन्नाव/ नगर पंचायत-न्योतनी, जनपद-उन्नाव।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायतों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।


2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 30 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 23 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के

प्रति

सापेक्ष कुल रूपये 757.00 लाख (रूपये सात करोड़ सतावन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 378.50 लाख (रूपये तीन करोड़ अठहतर लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सीधे जमा किया जायेगा।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
- (6) निदेशालय/स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समयबद्ध एवं चरणबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
- (9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता





- की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा प्रस्तावित सुधारों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा संकलित सूचना/प्रगति विवरण माह के प्रथम सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
- (12) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।
- (13) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रख रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, के लिये संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
- (14) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (15) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
- (17) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
- (18) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमा-

(19) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1128-दस-14, दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।

संख्या-61/186आ.न.यो.(1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )


उप सचिव।





संख्या-61/186 आ.न.यो./नौ-आठ-2014-09आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।


क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	कानपुर देहात	न.प. रसूलाबाद	वार्ड नम्बर-2 तुलसीनगर में विषधन तिराहा से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	14.94	14.94		
			वार्ड नम्बर-11 नेहरूनगर में राजेश गुप्ता के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	05.85	05.85		
			वार्ड नम्बर-8 केशव नगर में बाबूराम अवस्थी से बब्लू वाल्मीकि तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	09.73	09.73		
			योग-		30.52	30.00	15.00
2	कानपुर देहात	न.प. अकबरपुर	वार्ड नम्बर-4 में पुराना बस स्टाप से पुरानी तहसील मस्जिद तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	22.48	22.48		
			वार्ड नम्बर-7 में तहसील रोड से बालकिशन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	06.10	06.10		
			वार्ड नम्बर-7 में रामनाथ की चक्की से मुनीम जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली ऊंची करके बनाने का कार्य।	07.62	07.62		
			योग-		36.20	35.00	17.50



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
3	बरेली	न.पं. मीरगंज	नगर पंचायत मीरगंज में विद्युत व्यवस्था हेतु टुबुलर लाईट पोल की स्थापना का कार्य 60 नग।	21.11	21.11		
			योग-		21.11	20.00	10.00
4	बरेली	न.पं. रिछा	वार्ड नम्बर-9 में मैनर से पप्पुल के खेत तक इण्टरलाकिंग विक्रस निर्माण कार्य।	21.52	21.52		
			वार्ड नम्बर-9 में वकील अहमद के खेत से शफीक अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग विक्रस निर्माण कार्य।	25.66	25.66		
			योग-		47.18	40.00	20.00
5	शामली	न.पं. एलम	मौहल्ला विकास नगर उत्तरी एलम में ओमपकाश के मकान से पी.डब्लू.डी. सडक तक सी.सी. इण्टरलाकिंग टाईल्स सडक व नाली निर्माण कार्य।	10.75	10.75		
			मोहल्ला शास्त्री नगर एलम में नगर पंचायत कार्यालय के पास शीशपाल के खेत के पास नाले की पुलिया तक नाले के दक्षिणी पटरी पर सी.सी. इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	32.81	32.81		
			योग-		43.56	40.00	20.00
6	कासगंज	न.पं. भरगैन	भारत भत्ता की पुलिया से मिया की मजार तक इण्टरलाकिंग सोलिंग निर्माण कार्य।	34.61	34.61		
			नगर पंचायत भरगैन में विद्युतीकरण कार्य हेतु एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट 72 वाट की स्थापना 50 नग।	16.07	16.07		
			योग-		50.68	50.00	25.00



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
7	गाजीपुर	न.पं. दिलदारनगर	वार्ड नम्बर-9, 10 लाला मोहाल से नगर पंचायत कार्यालय सम्पर्क गली तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लॉक रोड एवं यू टाईप नाली का निर्माण कार्य।	31.54	31.54		
			योग-		31.54	30.00	15.00
8	गाजीपुर	न.पं. बहादुरगंज	वार्ड नम्बर-7 एवं 8 में बट्टी के घर से बस स्टेशन तक पीच रोड (एस0डी0बी0सी0) का निर्माण कार्य।	14.27	14.27		
			वार्ड नम्बर-3 में जूनियर हाई स्कूल के कोने से बंका सीमा तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	04.66	04.66		
			वार्ड नम्बर-4 में शेर अफगान खां के घर से मुस्तफाक खां के हाते से स्वामीनाथ, दुख्खी राम से संजय तेली के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	04.57	04.57		
			वार्ड नम्बर-1 लाल मोहन के घर से राजेन्द्र राभर से दूबर भर पप्पू भर नाथु भर के घर तक इण्टरलाकिंग पेवमेन्ट व नाली निर्माण कार्य।	08.59	08.59		
			योग-		32.09	30.00	15.00



( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
9	मैनपुरी	न.पं. घिरोर	वार्ड नम्बर-1 पुलिस चौकी नहर पटरी से पहरी बाबा आश्रम रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	25.18	25.18		
			वार्ड नम्बर-2 कर्बला रोड से जसराना रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	20.15	20.15		
			योग-		45.33	45.00	22.50
10	मैनपुरी	न.पं. कुरावली	वार्ड नम्बर-2 घनराजपुर ट्यूबवेल नम्बर-2 से कुरहट मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.42	20.42		
			वार्ड नम्बर-12 कौआटोला रमेश कश्यप के मकान से जमादार सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.40	16.40		
			बाईपास रोड जी0टी0 से राय सिंह राठौर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	39.64	39.64		
			योग-		76.46	76.00	38.00




( उमा शंकर सिंह )

उप सचिव।





क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
11	बिजनौर	न.पं. झालू	वार्ड संख्या-11 मौहल्ला महाजनान में काका प्रोविजनल स्टोर से बाजार में बम्बा चौक तक इण्टरलाकिंग 80 एम.एम; बिछाने का कार्य।	37.51	37.51		
			योग-		37.51	37.00	18.50
12	बिजनौर	न.पं. बढापुर	वार्ड संख्या-12 मौहल्ला मजडा वाले में लतीफ के मकान से कदीर तक भगवत के मकान से तारा तक अब्बास के मकान से अतीक के मकान तक इण्टरलाकिंग 80 एम.एम.टाईल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	21.32	21.32		
			नदी कटान रोकने के लिये तटबद्ध व पैदल मार्ग वार्ड संख्या-5 में मौहल्ला पक्का बाग में मछली बाजार से कृपाल सिंह सैनी के खेत तक निर्माण कार्य।	35.00	35.00		
			योग-		56.32	50.00	25.00



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।




क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
14	बुलन्दशहर	न.प. बी.बी.नगर	मौ० बरहम दरवाजा वार्ड नम्बर-8 में राजकीय इण्टर कालेज से चमनलाल के मकान तक डिवाइडर व पेन्टेड रोड एवं दोनों तरफ इण्टरलाकिंग का कार्य।	22.49	22.49		
			योग-		22.49	20.00	10.00
15	बुलन्दशहर	न.प. खानपुर	मौ० चौहान बस्ती वार्ड नम्बर-5 कुंवरपाल के घर से आवासो तक पुस्ता सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	12.93	12.93		
			मौ० बागवाला वार्ड नम्बर-12 वाहिद खां के मकान से रनजीत के मकान तक पुस्ता सहित नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	12.23	12.23		
			योग-		25.16	25.00	12.50



( उमा शंकर/सिंह )  
उप सचिव।




क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
15	मेरठ	न.पं. करनावल	वार्ड नम्बर-8 में खाद गोदाम से ओमपाल तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	07.46	07.46		
			वार्ड नम्बर-8 में जसवीर से मास्टर मदनपाल तक सी.सी. इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	05.22	05.22		
			वार्ड नम्बर-8 मास्टर मदनपाल से बुद्धू तक सी.सी. इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	05.31	05.31		
			वार्ड नम्बर-4 काशीराम से कलीराम रठ तक सी.सी. इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	03.86	03.86		
			वार्ड नम्बर-4 अमन सिंह से स्टेडियम तक डामर रोड निर्माण कार्य।	05.26	05.26		
			योग-		27.11	25.00	12.50
16	मऊ	न.पं. अमिला	नगर पंचायत अमिला में विद्युत व्यवस्था हेतु सोलर लाईट कम्पलीट सेट की स्थापना 70 अदद।	36.58	36.58		
			योग-		36.58	35.00	17.50
17	बागपत	न.पं. अमीनगर सराय	नगर पंचायत अमीनगर सराय में जनता स्कूल से लुहारा सीमा तक सडक के दोनों ओर की साइड की पटरी पर सी.सी. इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा पटरी निर्माण कार्य	36.71	36.71		
			योग-		36.71	20.00	10.00



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
18	बाराबंकी	न.पं. सतरिख	मोहल्ला कायस्थान में शिवनरायन जासयवाल के मकान से शंकर प्रजापति के मकान तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	02.56	02.56		
			मोहल्ला पूरेभग्गन में सोहन लाल यादव के मकान से शोभा रावत के मकान तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	06.23	06.23		
			मोहल्ला पूरेभग्गन में रामसजीवन के मकान से विक्रम के मकान होते हुये रामसरन वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	06.61	06.61		
			मो० भारागंज में नेवल किशोर विश्वकर्मा के मकान तवकला तालाब, कलीम गद्दी होते हुये राजू खां के मकान तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	14.17	14.17		
			योग-		29.57	29.00	14.50
19	बाराबंकी	न.पं. दरियाबाद	मोहल्ला मुलिहा में एस.एम. बालिका विद्यालय से टिकैतनगर मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	27.79	27.79		
			वार्ड चौधरियान पूर्वी में अशीर किदवई के घर से जैन स्कूल होते हुए यशवन्त जैन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.08	13.08		
			योग-		40.87	40.00	20.00



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
20	महौबा	न.पं. खरेला	मु0 सादराय-3 में ग्यासी काछी के मकान से रामलोटा के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	04.98	04.98		
			मुहाल-मानिक रजनवा पचौरी की बगिया से रामदास साहू की बगिया तक नाला निर्माण कार्य।	04.95	04.95		
			मुहाल सादराय-1 पप्पू मुसलमान के मकान से कोरी धर्मशाला तक नाला निर्माण कार्य।	04.95	04.95		
			मुहाल सादराय-3 में मन्ची काछी के मकान से टिराकी तलैया तक नाला निर्माण कार्य।	04.98	04.98		
			मुहाल-जालिब में चरखारी मुस्करा मार्ग से धवारी मार्ग तक नाला निर्माण कार्य।	02.79	02.79		
			योग-		22.65	20.00	10.00
21	उन्नाव	न.पं. औरास	छंगा के घर से बाजार तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	05.67	05.67		
			रमेश के मकान से मोहान रोड तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	17.77	17.77		
			योग-		23.44	20.00	10.00



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।



क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
22	उन्नाव	न.पं. मोहान	कोट-09 में सी.सी. रोड से काली जी मन्दिर होते हुए खलील के मकान तक पानी के पास तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.08	11.08		
			कोट -09 में झब्बू मास्टर के मकान से कुंवर बहादुर के मकान होते हुये अनिल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	04.91	04.91		
			कोट-09 में रामा भुर्जी के मकान से छुटकी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	04.53	04.53		
			योग-		20.52	20.00	10.00
23	उन्नाव	न.पं. न्योतनी	गांधी नगर में राजाराम के घर से रामस्वरूप के मकान तक तथा बेचा के घर से भजन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.44	20.44		
			योग-		20.44	20.00	10.00
			कुल योग-			757.00	378.50

(रूपये तीन करोड़ अठ्ठतर लाख पचास हजार मात्र)



( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।

